मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक और शब्द ''३१ दिसम्बर, २०१२'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''३१ दिसम्बर, २०१४'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, अंक और शब्द ''३१ दिसम्बर, २०१२'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक और शब्द ''३१ दिसम्बर, २०१४'' स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, अंक और शब्द ''३१ दिसम्बर, २०१२'' के स्थान पर, अंक और शब्द ''३१ दिसम्बर, २०१४'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को आवासिक प्रयोजन के लिए पट्टाधृति अधिकारों के आबंटन का उपबंध करता है. अधिनियम के विद्यमान उपबंध शासकीय भूमि पर या नगरपालिकाओं और विकास प्राधिकरणों की भूमि पर निवास कर रहे ऐसे भूमिहीन नगरीय गरीब व्यक्तियों को, जो ३१ दिसम्बर, २०१२ को ऐसी भूमि पर कब्जा रखते हों, पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकृत करते हैं. तब से राज्य में कई गरीब व्यक्ति आजीविका के प्रयोजन से नगरीय क्षेत्रों में पलायन कर गए हैं और ऐसी भूमि पर रह रहे हैं. अतएव, इन भूमिहीन नगरीय गरीब व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा ३ और ४ में यथोचित संशोधन द्वारा अंतिम तारीख को ३१ दिसम्बर, २०१४ तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १४ फरवरी, २०१७.

माया सिंह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, १९८४ से उद्धरण.

* * * *

धारा ३ उपधारा (१) ''तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे भूमि के संबंध में, जो ३१ दिसम्बर, २०१२ को किसी भूमिहीन व्यक्ति द्वारा किसी नगरीय क्षेत्र में अधिभोग में रखी जाती हो, उपधारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यह समझा जायेगा कि उक्त तारीख को उसका व्यवस्थापन, उसके पक्ष में पट्टाधृति अधिकारों में हो गया है''.

उपधारा (२) ''प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित नियमों या जारी निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, या तो भूमिहीन व्यक्ति के वास्तविक अधिभोग में की भूमि का व्यवस्थापन या उसको किसी अन्य भूमि का आबंटन जो पैंतालीस वर्ग मीटर से अधिक न हो, उसके पक्ष में पट्टाधृति अधिकारों में कर सकेगा, परन्तु वह ३१ दिसम्बर, २०१२ के पूर्व से नगरीय क्षेत्र में अपने निवास को साबित करने के लिये निम्नलिखित सबूत पेश करेगा—

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किया गया राशन कार्ड; या

(ख) यथास्थिति, नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत द्वारा प्राधिकृत समुचित अधिकारी से लिखित में परिसाक्ष्य, यह प्रमाणित करते हुए कि वह ३१ दिसम्बर, २०१२ के पूर्व से उस क्षेत्र में निवास करता है:

परन्तु जहां भूमिहीन व्यक्ति के अधिभोग में पैंतालीस वर्ग मीटर से अधिक भूमि है, वहां भूमि का व्यवस्थापन, नगर पंचायत क्षेत्र में ८० वर्ग मीटर तक, नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में ६० वर्ग मीटर तक कर सकेगा; तथापि किसी नगरपालिक निगम के क्षेत्र में भूमि का व्यवस्थापन ४५ वर्ग मीटर भूमि से अधिक नहीं होगा''.

धारा ४ उपधारा (२) ''यदि ३१ दिसम्बर, २०१२ को प्रश्नगत भूमि के अधिभोग के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह भूमिहीन व्यक्ति, जो यह दावा करता है कि उक्त तारीख को वह भूमि उसके अधिभोग में थी, वह विवाद विनिश्चय के लिये प्राधिकृत अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा, प्राधिकृत अधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश, विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा''.

* * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.